0/C
III Time
09.9.24

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, झांसी।

विज्ञप्ति- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के शासकीय आवास परिसर में स्थित जर्जर निर्माणों के मलवे की नीलामी करवाए जाने के सम्वन्ध में नीलामी हेतु

माननीय जनपद न्यायाधीश झॉसी महोदय के आदेश दिनांकित 28.08.2024 के अनुपालन में नीलामी समिति, जनपद न्यायालय, झॉसी द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के शासकीय आवास परिसर में स्थित निष्प्रयोज्य 30X20 फीट के एक कक्ष एवं 10X10 फीट के एक शौचालयनुमा निर्माण के मलवे की नीलामी, लोक निर्माण विभाग, झॉसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों के अनुसार करवाकर उसको निस्तारित करवाया जाना है। उक्त नीलामी तीसरी वार पुनः दिनांक 09.09.2024 को समय सायं 4.30 वजे समिति के सदस्यों के समक्ष अध्यक्ष, नीलामी समिति/ विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), झांसी के विश्राम कक्ष में सम्पन्न होगी।

इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाज़िर, जनपद न्यायालय, झांसी से संपर्क कर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के शासकीय आवास परिसर में स्थित निष्प्रयोज्य 30X20 फीट के एक कक्ष एवं 10X10 फीट के एक शौचालयनुमा निर्माण के मलवे का निरीक्षण कर उसकी नीलामी किये जाने हेतु वोली लगाकर लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक वोलीकर्ता द्वारा नीलामी हेतु वोली लगाने के पूर्व धरोहर राशि के रूप में रू0 5,000/- (रू0 पांच हजार मात्र) की धनराशि रोकड़िया, जनपद न्यायालय, झांसी के पास जमा करानी होगी। अधिकतम वोली लगाने वाले व्यक्ति की धरोहर राशि को छोड़कर शेष वोलीकर्ताओं की धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने के उपरान्त तुरंत वापस कर दी जायेगी। नीलामी समाप्त होने पर अधिकतम वोली लगाने वाले व्यक्ति को धरोहर राशि को छोड़ते हुए नीलामी राशि की अवशेष धनराशि अगले कार्यदिवस तक नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, झांसी में निश्चयात्मक रूप से जमा करानी होगी। नीलामी के वावत अनुवन्धपत्र निर्धारित 10/- के स्टाम्प पर निष्पादित कराना होगा कि-

(क) वोली वोलने वाले व्यक्ति वकायादर एवं काली सूची के अन्तर्गत न आता हो।

(ख) वोली वोलने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला पंजीकृत न हुआ हो और न ही लम्वित हो। इस तथ्य का शपथपत्र प्रत्येक वोलीकर्ता को वोली वोलने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) अधिकतम वोली लगाने वाले वोलीकर्ता द्वारा निष्प्रयोज्य सामग्री को ले जाने का खर्च स्वयं वहन करना होगा।

(घ) वोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार जानपद न्यायाधीश, झांसी को सुरक्षित रहेगा।

उपरोक्त नीलामी की सूचना तद्नुसार जजपद न्यायालय, झांसी की आधिकारिक वेवसाइट पर अपलोड करवाई जाये एवं समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवाई जाये।

दिनांक: 28.08.2024

(पवन कुमार शर्मा-प्रथम)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
प्रभारी अधिकारी, नज़ारत,
झांसी।